..........को पेश हो।

27.6.22 वकील वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के आपस में राजीनामा होने के कारण इस वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं व नोटप्रेस करना चाहते हैं। निवेदन स्वीकार करते हुए यह वाद पत्र नोटप्रेस के आधार पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाष)
उपखंड अधिकारी
मंडावा